दिसम्बर 2024
वर्ष 38 संख्या 12
मूल्य 5 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

किसानों तथा मजदूरों के संघर्ष तेज करना जरुरी है

तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक किसान आंदोलन में 26 नवम्बर 2020 को दिल्ली सीमाओं पर किसानों के पहुंचने की चौथी वर्षगांठ पर संयुक्त किसान मोर्चा तथा ट्रेड यूनियनों के आवाह्न पर 26 नवम्बर 2024 को देश भर में लगभग सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किये गये। रिपोर्टों के अनुसार देश में लगभग 400 जिलों में विरोध कार्यक्रम किये गये। संयुक्त किसान मोर्चे का मुख्य जोर स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एम.एस.पी. तय करने तथा उसकी गारंटी का कानून बनाने, कर्ज माफी, बिजली के कीमतों को न बढ़ाने आदि मांगों को लेकर है।

संयुक्त किसान मोर्चे के घटक अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने विभिन्न प्रांतों में विरोध प्रदर्शनों में भागेदारी की। पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा तमिलनाडु में ए.आई.के.एम.एस. के नेतृत्व में किसानों तथा कृषि मजदूरों ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया।

इस अवसर पर इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने इस दिन को कारपोरेट–विरोधी दिवस चिंहित करते हुए इसे चार लेबर कोड समेत सभी कारपोरेट–परस्त कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर एस.के.एम. के साथ मिलकर कार्यक्रम कर आवाह्न किया। इफ्टू ने दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों, बिहार में कहलगांव के साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना तथा पंश्चिम बंगाल में कई केन्द्रों पर संयुक्त कार्यक्रम किये।

इन विरोध कार्यक्रमों ने जहां सरकार की कारपोरेट–परस्त नीतियों को बेनकाब किया वहीं देश की जनता के सामने खड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान की ओर भी इशारा किया। इस वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर का कम होना आकस्मिक नहीं है। दरअसल देश के आर्थिक संस्थान कारपोरेट की वृद्धि के आधार पर देश की आर्थिक वृद्धि का आंकलन करते हैं जो वास्तविक स्थिति को नहीं दिखाता। छोटे तथा मझौले उद्योगों की हालत बेहद खराब है और वे लगातार गहराते संकट से जूझ रहे हैं। ये ही उद्योग देश में उद्योगों में अधिकांश मजदूरों को रोजगार देते हैं। सरकार के पास इन उद्योगों को राहत देने की कोई योजना नहीं है बल्कि सरकार तो आर्थिक वृद्धि के लिए विदेशी पूंजी निवेश की ओर देखती है। जाहिर है मजदूरों को उद्योगों में काम देने की उसके पास कोई योजना नहीं है।

हाल में सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अंनत नागेश्वरन ने कहा कि वेतन में ठहराव तथा गिरावट ने जनता की क्रय शक्ति को प्रभावित किया है जिससे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है और इसके कारण आर्थिक वृद्धि दर भी। सांख्यिकी तथा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकडों के अनुसार ग्रामीण भारत में मजदूरों की वार्षिक आय 2023–24 में घटकर रु. 8,842 रह गई है जो 2017–18 में रु. 9,107 से कम है। इन 6 वर्षों में ग्रामीण पुरुष मजूदरों की औसत मासिक आय रु. 9,748 से घटकर रु. 9,589 रह गई है जबकि महिला मजदूरों की औसत मासिक आय रु, 6,439 से घटकर रु, 6,335 रह गई है। इन पिछले 6 वर्षों में शहरी पुरुष मजूदरों की मासिक आय में मामूली वृद्धि हुई है जो रु. 13,425 से बढ़कर रु. 13,834 हो गई है वहीं शहरी महिला मजदूरों की मासिक आय में गिरावट आई है जो रु. 10,867 से घटकर रु. 10,693 रह गई है। अंनत नागेश्वरन के अनुसार कारपोरेट के बढ़ते मुनाफे का इन वेतनों से कोई मेल नहीं है तथा इसका असर जनता की घटती क्रय शक्ति के रुप में हो रहा है। 2013–24 में कारपोरेट मुनाफा पिछले 15 वर्षों के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया।

जहां एक ओर मजदूरों के वेतन गिर रहे हैं अथवा ठहराव–ग्रस्त हैं वहीं किसानों की आय भी घट रही है। लागतों के बढ़ते दाम तथा फसलों की खरीद के अपेक्षाकृत कम दाम और उस पर भी खरीद की गारंटी नहीं इसने किसानों पर कर्ज के बोझ को बढ़ा दिया है। जाहिर है जब देश की जनता के दो बड़े हिस्सों–मजदूरों और किसानों की आय ठहराव–ग्रस्त है या घट रही है तो जनता की क्रय शक्ति का कम होना लाजिमी है और इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर पड़ना भी लाजिमी है। विदेशी बाजारों की ओर टकटकी लगाकर देख रही भारत सरकार की आशाएं साम्राज्यवाद के गहराते संकट के चलते पूरी नहीं हो पायेंगी। अमेरिका समेत सभी साम्राज्यवादी देशों में संरक्षणवाद बढ़ रहा है। इसके लिए देश में धरेलू क्रय शक्ति बढ़ाना जरुरी है।

इस परिप्रेक्ष्य में देश के मजदूरों और किसानों का संघर्ष न केवल अपने हितो के लिए है बल्कि देश के आर्थिक हित के लिए भी बहुत महत्व रखता है। उनका संघर्ष उनकी आय अर्थात क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए है जो काफी कम है तथा और घट रही है। उनकी क्रय शक्ति के बढ़े बिना देश में जनता की खरीदने की ताकत नहीं बढ़ सकती तथा औद्योगिक उत्पादन की खपत का संकट रहेगा। इसलिए किसानों और मजदूरों के आंदोलन को तेज करना जनता तथा देश के हित में जरुरी है।

कीर्ति किसान यूनियन ने फिलिस्तीन दूतावास में मानवीय आधार पर वित्तीय सहायता दी

संयुक्त राष्ट्र से फिलिस्तीनी मुद्दे के स्थायी संघर्ष विराम और स्थायी समाधान की मांग

फिलिस्तीन की धरती पर जनसंहार मानव सभ्यता के इतिहास में काला अध्याय

'फिलिस्तीनी लोगों के उत्पीड़न ने विभाजन और 1984 में सिखों के जनसंहार की दुखद यादें ताजा कर दीं'

नई दिल्ली, 14 नवंबर 2024। कीर्ति किसान यूनियन (एआईकेएमएस) ने इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के नरसंहार को मानव सभ्यता के इतिहास में एक काला अध्याय बताया है, मानवीय संकट का जवाब देते हुए वित्तीय सहायता भेजने का एक मामूली प्रयास किया गया है। किसान संगठन के सचिवालय समूह के प्रतिनिधिमंडल ने आज फिलिस्तीनी दूतावास में राजदूत डॉ. अबेद अबू जेजार से मुलाकात की और उन्हें मानवीय सहायता के रूप में पांच लाख रुपये भेंट किए और उत्पीड़न के इस भयानक समय में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की।

संगठन ने स्थायी युद्धविराम के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है और यूएनओ से फिलिस्तीन के मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने की भी मांग की है। कीर्ति किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष निरभय सिंह ढुडीके, महासचिव राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, प्रेस सचिव रमिंदर सिंह पटियाला, उपाध्यक्ष जतिंदर सिंह छीना और कोषाध्यक्ष जसविंदर सिंह झबेलवाली शामिल थे।

कीर्ति किसान यूनियन के महासचिव राजिन्दर सिंह दीपसिंहवाला तथा प्रेस सचिव रमिन्दर सिंह पटियाला द्वारा जारी बयान के अनुसार फिलिस्तीनी दूतावास में राजदूत से मिलने के बाद प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कीर्ति किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि मानव सभ्यता के इतिहास में भयानक नरसंहार अमेरिका जैसी प्रमुख शक्तियों के उकसावे में जायोनी इजराइल द्वारा किया जा रहा है। जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं की भयावह छवियां और आपदा के खंडहर दिल दहला देने वाले अत्याचारों की कहानी कहते हैं। लोग भोजन, पानी, बिजली और चिकित्सा जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित हो गए हैं। ऐसे समय में यूएनओ को भी मानवीय सहायता भेजने की अपील करनी पड़ी. दुनिया भर से शांतिप्रिय, दर्द–संवेदनशील और न्याय–प्रिय लोग इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और तत्काल युद्धविराम की मांग कर रहे हैं।

किसान नेताओं ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेत–न्याहू को याद रखना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों ने हिटलर के फासीवादी अभियान के तहत नरसंहार की भयानक त्रासदी झेली थी, आज वे फिलिस्तीनियों पर उसी तरह का अत्याचार कर रहे हैं। हिटलर के अत्याचार की निंदा दुनिया भर के न्यायप्रिय लोगों ने भी की थी, अब भी दुनिया के न्यायप्रिय लोग ही हिटलर के रास्ते पर चलकर जायोनी इजरायली सरकार के जुल्म को रोक सकेंगे।

कीर्ति किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के भयानक उत्पीड़न ने पंजाब, खासकर सिखों को, मध्यकालीन इतिहास, विभाजन और 1984 के अत्याचारों की याद दिला दी है। जिससे पंजाबी खासकर सिख फिलिस्तीनी लोगों के दर्द को गहराई से महसूस कर सकते हैं। किसान नेताओं ने देशवासियों के साथ–साथ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और न्यायप्रिय संगठनों और संस्थाओं से अपील की है कि वे इस कठिन और भयानक समय से गुजर रहे फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए आगे आएं।

संभल शाही जामा मस्जिद के अस्तित्व पर फासीवादी हिन्दुत्ववादियों का हमला

साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की आरएसएस की साजिशों का विरोध करो।

न्यायपालिका व प्रशासन के हिन्दुत्व के सामने बढ़ते समर्पण तथा संविधान और कानून के निर्लज्ज निरादर का पर्दाफाश करो।

आशीष

19 नवम्बर को दिन 12 बजे इन्टरनेशनल हरिहर सेना के अध्यक्ष और कालादेवी मंदिर के महन्त ऋषिराज गिरि की ओर से विहिप सदस्य व सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन के पुत्र ने जिला अदालत में शाही जामा मस्जिद संभल का सर्वे कराने की एक अर्जी दाखिल की, जिस पर सरकारी अधिवक्ता प्रिंस शर्मा द्वारा आपत्ति के अभाव में दोपहर 2:38 बजे माननीय वरिष्ठ जिला न्यायाधीश ने तुरन्त सर्वे के आदेश पारित कर दिये। श्री रमेश राघव को इस जांच का अधिवक्ता आयुक्त (एडवोकेट कमिश्नर) नियुक्त किया गया और श्री हरिशंकर जैन उसके 6 सदस्यों में से एक बनाये गये। प्रशासन से मिलकर आनन–फानन में शाम को ही सर्वे पूरा कर लिया गया, जिसमें अधिकारियों का दावा है कि मस्जिद समिति को औपचारिक सूचना दे दी गयी थी।

अधिवक्ता आयुक्त और जांच दल को पुनः जांच की आवश्यकता पड़ी क्योंकि 19 नवम्बर की जांच शाम के समय की गयी थी और 29 नवम्बर को कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल करनी थी उसमें वीडियो व फोटो के सबूत दाखिल किये जाने थे, जो पहली जांच में रोशनी के अभाव में पूरा नहीं किया गया था। इस आड़ में 24 नवम्बर की सुबह 6:45 बजे प्रशासनिक सुरक्षा के साथ टीम ने मस्जिद में प्रवेश किया। जांच शुरु हुई और करीब 7:30 बजे भारी मात्रा में मस्जिद की वजूखाना से पानी निकाला गया। जब पानी मस्जिद के बाहर बहने लगा तो लोगों को शक हुआ कि तोड़फोड़ हो रही है और मस्जिद के पीछे एकत्र भीड़ ने नारेबाजी शुरु कर दी। 8:52 बजे पुलिस ने भीड़ पर बल प्रयोग किया।

10:05 बजे जांच टीम सुरक्षा के साथ मस्जिद से बाहर आयी और सभी स्रोतों के अनुसार मुख्य झड़प इसी समय हुई। पुलिस का दावा है कि टीम की सुरक्षा के लिए उन्हें लाठी चलानी पड़ी, लोग तमन्चे व चाकू लेकर एकत्र हुए थे। मुरादाबाद आयुक्त श्री औजन्य कुमार सिंह के अनुसार जिस समय टीम निकल रही थी, लोग 3 समूहों में एकत्र थे, एक उनकी बायीं तरफ, एक दायीं तरफ और एक बीच में और ये सभी जांच टीम की तरफ पत्थर चला रहे थे। जब पुलिस ने बल प्रयोग किया (पुलिस द्वारा जवाबी पत्थरबाजी के कई वीडियो मौजूद हैं), आंसू गैस व रबर बुलेट दागे, तो भीड़ ने खड़े वाहनों में आग लगा दी (4 चार पहिया वाहन और 5 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए)। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 3 लोग मौके पर व दो घायल बाद में मारे गये।

इस फायरिंग पर इन्तेजामिया समिति अध्यक्ष श्री जफर अली साहब ने एक वीडियो बयान में स्पष्ट किया कि वह अधिकारियों के बीच मौजूद थे और जब उन्होंने डीएम, पुलिस व उच्चाधिकारियों को गोली चलाने का निर्देश देने की बात सुनी तो उन्होंने बाहर जाकर भीड़ से कहा कि गोली चलने का अंदेशा है और शांति बनाए रखने के लिए लोगों को घर लौट जाना चाहिए। उनके अनुसार 75 फीसदी लोग लौट गये और 25 फीसदी ज्यादातर युवा वहां खड़े रहे। इस बयान के बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया और वहां से लौटने पर उन्होंने अपना बयान बदल दिया।

पुलिस का कहना है कि लोगों ने आपस में गोलियां चलाईं जिस वजह से ये मौतें हुईं। यह स्पष्ट नहीं है कि जो भीड़ 3 हिस्सों में थी और पुलिस पर पथराव कर रही थी वे आपस में गोलियां क्यों चलाएंगी ? कई लोगों के बयान से यह खबर है कि इस बार पुलिस ने सरकारी अग्नेयास्त्रों से हवाई फायरिंग की और कट्टों से लोगों पर सीधा हमला किया। सभी मारे गये युवकों को छाती व पेट में गोली लगी। सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गोली बरामद नहीं हुई है। पुलिस इस बारे में दो कहानियां प्रचारित करना चाह रही है और उसके बयान दोनो की ओर इशारा करते हैं। एक कि लोगो ने कट्टे से पुलिस पर फायरिंग की और इन्हीं गोलियों से लोग मरे। यह इस तथ्य से खारिज हो जाता है कि किसी भी पुलिसवाले को गोली की चोट नहीं लगी है और गोली चलने से पूर्व का बयान है कि भीड़ 3 तरफ से पुलिस पर हमला कर रही थी, यानी पुलिस के पीछे भीड़ का कोई हिस्सा नहीं था। दूसरी कहानी मुस्लिम गुटों के आपसी कलह की है, जिसके लिए वह सपा के बीच गुटबाजी और चुनावी रंजिशों की आड़ ले रहे हैं।

कुछ और भटकाव पैदा करने वाली बातें भी प्रचारित हैं। एक यह कि करीब 1 बजे नखासा चौराहे पर भीड़ जमा हुई और पुलिस से उसका टकराव हुआ तब ये मौतें हुईं। नखासा चौराहा मस्जिद से डेढ़ से दो किलोमीटर दूर है और वहां टकराव से पहले ही मौत की खबर आ चुकी थी। यह कहानी इस बात को बताने के लिए प्रचारित है कि सारी जांच शांति से समाप्त होने के बाद अलग से मुसलमानों ने हमला किया। एक और कहानी सब इंसपेक्टर मो0 शाहिद फैसल की मौके पर जली मोटरसाईकिल के साथ जुड़ा है। उनका दावा है कि उनकी पिस्टल की मैगजीन और 10 गोलियां हाकी स्टिक लेकर आई भीड़ ने छीन लीं और वे किसी तरह पिस्टल बचाने में कामयाब रहे। यह भी मुसलमानों को हमलावर दिखाने के लिए प्रचारित है। पर पुलिस के ऐसे भी बयान हैं जो सच को उजागर करते हैं – कि हमने पीठ दिखाकर भागने के लिए वर्दी नहीं पहनी है।

दूसरी जांच

दुबारा जांच की आवश्यकता के बारे में कई प्रश्न हैं। जिस तरह से एकाएक इसे किया गया यह स्पष्ट है कि कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया। यह भी खबर है कि पहले जिलाधिकारी ने इंकार किया पर एसडीएम संभल श्रीमती वंदना मिश्रा के दबाव में अनुमति दी गयी और पहली जांच की तरह इस पर तत्काल अमल किया गया।

विवाद की पृष्ठभूमि व दावा

हरिहर मंदिर के होने का पहला दावा मुरादाबाद कोर्ट में 1878 में दाखिल हुआ बताया जाता है, जो निराधार होने के कारण तुरन्त खारिज कर दिया गया। 1976 में मस्जिद के मौलाना की एक हिन्दू द्वारा हत्या के बाद दंगे हुए और एक माह तक कर्फ्यू लगा रहा। पर लम्बे समय से हर साल श्रावण के महीने में हिन्दु प्रतिनिधि मुरादाबाद से आकर इस स्थान पर शिव मंदिर होने के नाम पर जल चढ़ाते रहे हैं। सच यह है कि आरएसएस का यह शातिर गुट इलाके के ग्रामीण इलाके में हरिहर मंदिर के नाम पर महन्त गिरि के नेतृत्व में हिन्दुओं के बीच अपने दावे का प्रचार करता रहा है और ये नारा देते रहे हैं कि "पांच सदी से जमा खून जब शोला बनकर खौलेगा, बाबर भी तब कब्र से उठकर हरिहर हरिहर बोलेगा"। विवाद में मंदिर के टूटने व मस्जिद के निर्माण का साल 495 साल पुराना 1529 बताया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "शांति व सौहार्द" की अपील

इन्तेजामिया कमेटी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में इस विवाद की कानूनी कार्यवाही स्थगित करने की अपील दाखिल करने पर उसने 29 नवम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार से 'शांति व सौहार्द' बनाए रखने की आवश्यकता को दोहराया है और कहा कि उच्च न्यायालय में यह अपील दाखिल हैं जो इसे 3 दिन के भीतर सुने और संभल जिला न्यायालय इस बीच मामले की सुनवायी नहीं करेगा। केस को 8 जनवरी को दुबारा सुनने का आदेश देते हुए उसने आदेश दिया कि अधिवक्ता आयुक्त यदि अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करता है तो उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि वह सचेत है कि इस तरह के 10 विवाद देश भर की अदालतों में लम्बित चल रहे हैं। मौखिक रूप से उसने केन्द्र सरकार के असिस्टेन्ट पब्लिक प्राक्सीक्यूटर से कहा कि उन्हें दोनो पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए।

लोगों की प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से इस केस को समाप्त करने का निर्देश नहीं दिया हालांकि याचिका का आग्रह था कि यह और ऐसे सभी दावे सार्वजनिक अशांति फैलाने की दृष्टि से किये जा रहे हैं। अशान्ति रोकने के लिए उसने न्याय की दिशा सुझाने की जगह, समझौते की दिशा सुझाई। इस मौके पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए वह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 (पूजा स्थल कानून 1991) को अमल करने का निर्देश दे सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया और उत्तर प्रदेश सरकार तथा निचली अदालतों से केवल अपनी उम्मीद जतायी। जाहिर है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से लोगों में शांति व समाधान की आशा जगी है। पर लोग केवल संयम के साथ आशावान हैं क्योंकि 1992 में भी बाबरी मस्जिद टूटते समय सुप्रीम कोर्ट मस्जिद को सुरक्षित रखने पर उत्तर प्रदेश सरकार के आश्वासन से संतुष्ट था और बाद में उसने मस्जिद के विध्वंस के इस अपराध को चिन्हित करने के बावजूद किसी को सजा नहीं दी।

विवाद को बढ़ाने के लिए पुरातत्व विभाग को शामिल किया गया

बाबरी मस्जिद विवाद की तरह संभल जामा मस्जिद वाद में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एएसआई को शामिल किया गया है। शाही जामा मस्जिद संभल एएसआई द्वारा संरक्षित है। जब वाद दाखिल किया गया तब महानिदेशक व एएसआई के अफसरों को भी नोटिस दिये गये। एएसआई ने इस वाद में अपने जवाब में मस्जिद के प्रबंधकों के खिलाफ यह उत्तेजना पैदा करने वाला बयान दर्ज किया है कि "जब–जब हम सर्वे के लिए गये तब–तब हमें रोका गया और हमारे जाने पर आपत्ति दर्ज की गयी और सभी नियमों की अनदेखी करके शाही जामा मस्जिद में कई निर्माण कराये गये"। इस बयान का इस वाद में क्या औचित्य है ? यह इस बात से स्पष्ट है कि शाही जामा मस्जिद का संरक्षक होने के नाते एएसआई ने 2018 में ही अवैध निर्माण का एक एफआईआर दर्ज किया हुआ है। जांच के लिए उसी एफआईआर से सम्बन्धित केस में उसे शिकायत करनी चाहिए थी। रिपोर्ट है कि मुख्य विवाद किसी रेलिंग के निर्माण को लेकर है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब एएसआई ने दावा किया है कि पूरी मस्जिद उसे सौंप दी जाए।

धर्मस्थलों के अन्य लम्बित विवाद – उत्तरकाशी जामा मस्जिद

सर्वोच्च न्यायालय ने 10 लम्बित विवादों का जिक्र किया है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी, मथुरा की शाही ईदगाह, धार में कलाम मौला मस्जिद–भोजशाला और सबसे ताजा अजमेर की ख्वाजा मोईनउद्दीन चिश्ती दरगाह के मामले हैं। पर आरएसएस–भाजपा केवल ऐतिहासिक मसले नहीं उठा रही है, उसका निशाना इससे ज्यादा बड़ा है।

उत्तरकाशी में धामी शासन के दौरान 1969 को निर्मित और 1987 को वक्फ सम्पत्ति के रूप में पंजीकृत भटवारी सड़क पर स्थित जामा मस्जिद को भी विवाद का सवाल बना दिया गया है। आरएसएस की ओर से इस विवाद को बढ़ाने के लिए विश्व हिन्दू परिषद ने 'संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल' बनाया है। अपनी सभाओं में वे मुसलमानों के 'भूमि जिहाद' और 'लव जिहाद' के नारे उछाल कर प्रचार करते हैं कि मुसलमानों से अपनी जमीन व लड़कियों को बचाया जाए। यह विवाद भी हाल में उठाया गया और मस्जिद को घेरने और ढहाने की कोशिश की तब प्रशासन ने उग्र भीड़ को रोक दिया। जब जिलाधिकारी द्वारा तथ्यों की जांच करने का आदेश हुआ तब 24 अक्टूबर को उन्होंने लिखित स्पष्टीकरण दिया कि यह जमीन मुसलमानों के निजी नाम से पंजीकृत है।

7 नवम्बर को आरएसएस की सेना ने इस सवाल पर 1 दिसम्बर को महापंचायत करने की घोषणा कर दी। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने भटवारी एसडीएम द्वारा इस सेना के दावे की पुनः जांच करने का आदेश दिया। एसडीएम के पुनर्निरीक्षण

(आगे पृष्ठ 7 पर)

ट्रम्प की जीत : अमेरिका और विश्व के लिए इसके अर्थ

डोनाल्ड ट्रम्प ने मतों को बहुमत और जीत के लिए महत्वपूर्ण निर्वाचक मंडल के प्रतिनिधियों का बहुमत जीतकर, अमेरिकी राष्ट्रपति का पद निर्णायक रूप से जीत लिया है। अपेक्षाकृत गरीब लोगों के अधिकांश हिस्से के अपनी आर्थिक स्थिति से असंतोष के आधार पर, ट्रम्प ने श्रमिक वर्ग के क्षेत्रों में जीत हासिल की और लगभग सभी जनसमूहों में अपने वोटों में भी सुधार किया। महंगाई के साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति ने लोगों के बड़े हिस्से को प्रभावित किया। गैस और दैनिक आवश्यकताओं की कीमतें बहुत बढ़ गई थीं। आवास पहुंच से बाहर हो गया। जहां दीर्घकाल से मुद्रास्फीति लगभग 3% रही है, बिडेन प्रशासन के तहत यह एक समय 9.1% के स्तर पर पहुंच गयी थी। यह नाराजगी महिलाओं के शरीर पर उनके अधिकार पर प्रभाव डालने वाले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा, जिन्हें ट्रम्प प्रशासन ने नियुक्त किया था, "रो बनाम वेड" के निर्णय को उलटने से अमेरिकी महिलाओं के बीच असंतोष से भी ज्यारा भारी रही। दरअसल, डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को 2020 में बिडेन (57%) की तुलना में महिलाओं के कम वोट (54%) मिले। अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं को छोड़कर सभी महिला समूहों में उनका समर्थन कम हो गया। जबकि स्त्री–द्वेष सहित सभी कारकों ने कुछ भूमिका निभाई, आम अमेरिकियों द्वारा सामना की जा रही आर्थिक कठिनाइयों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तथाकथित वामपंथी उदारवादी डेमोक्रेटिक पार्टी, जो न तो वामपंथी है और न ही उदारवादी, ने ना केवल व्हाइट हाउस खो दिया, बल्कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा पर भी नियंत्रण खो दिया है। रिपब्लिकन झुकाव वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश न्यायाधीशों के साथ सत्ता की उपरोक्त तीनों शाखाओं पर प्रभाव ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी को, जिसे ट्रम्प ने अपनी छवि में ढाल लिया है, अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने की पूरी शक्ति देता है।

इन परिणामों को 2008 के बाद से जारी महान मंदी के बाद से उन्नत पूंजीवादी देशों के बीच चल रहे आर्थिक पुनर्गठन की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। साम्राज्यवादी व्यवस्था के गहराते आर्थिक संकट ने साम्राज्यवादी व्यवस्था के सभी अंतर्विरोधों को तीव्र कर दिया है अर्थात विशेष रूप से साम्राज्यवादी देशों में श्रम और पूंजी के बीच अंतर्विरोध, साम्राज्यवाद और उत्पीड़ित देशों के बीच अंतर्विरोध और साम्राज्यवादी देशों के बीच अंतर्विरोध। बड़ी पूंजी का बड़ा हिस्सा इस संकट से उबरने के लिए घरेलू मेहनतकश हिस्से के शोषण और तीसरी दुनिया के देशों में लूट को तेज करने पर जोर दे रहा है। सुधारवादी आवेग पर काबू पाने के लिए, उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था, विशेषकर बड़ी पूंजी के विरुद्ध वर्ग गुस्से को सामाजिक टकराव की ओर मोड़ने के लिए पहले से मौजूद सामाजिक विभाजनों की और गहरा कर हस्तक्षेप की कोशिश की। अमेरिका में यह टी पार्टी आंदोलन से शुरू होकर 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के रूप में विकसित हुआ। सुधारवादी उपाय पूरी तरह से विफल हो रहे हैं और संकट गहरा रहा है। संकट का आर्थिक बोझ मेहनतकश जनता के कंधों पर डालने से उनमें असंतोष बढ़ रहा है। बड़ी पूंजी के बड़े हिस्से ने मजदूर वर्ग की एकता को तोड़कर उन्हे पूँजी के विरुद्ध संघर्ष से दूर करने और प्रवासियों पर निशाना साधने के लिए नस्लवादी, अति–दक्षिणपंथी, फासीवादी समूहों का समर्थन करना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेवाओं और उद्योगों दोनों में श्रमिकों के चल रहे आंदोलन और ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट जैसे विस्फोटों ने इस कार्य को महत्वपूर्ण बना दिया। ट्रंप ने मेहनतकश जनता के गुस्से को मोड़ने के लिए उग्र प्रवासी विरोधी रुख अपनाया। बड़ी पूंजी तेजी से 'लोकतंत्र' के खिलाफ हो गई जिसका उपयोग उसने अपने वर्ग शासन को बनाए रखने और स्थिर करने के लिए सफलतापूर्वक किया था। सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश में ट्रम्प की सत्ता में वापसी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

शोषण और लूट की यह तीव्रता वर्ग संघर्ष और क्रांतिकारी आंदोलन को तीव्र करने की स्थितियां पैदा कर रही है और आगे भी पैदा करेगी। शासक वर्ग के मौजूदा लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ जाने से लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष भी लोगों के आंदोलन का हिस्सा बन जाएगा। जन आंदोलनों को तीव्र करने की वस्तुगत स्थितियाँ लगातार अनुकूल होती जा रही हैं।

इस प्रक्रिया ने बड़ी पूंजी के राजनीतिक प्रतिनिधियों के बीच तथाकथित उदार वर्गों के पतन को भी तेज कर दिया। यूरोपीय देशों में सामाजिक लोकतंत्र का ह्रास हुआ। तथाकथित उदारवादी वर्गों ने अपनी वर्ग स्थिति के कारण शासक वर्ग के अति–दक्षिणपंथी वर्गों का मुकाबला नहीं किया। इसके अलावा मजदूर वर्ग के आंदोलन की कमजोरी के कारण इन उदारवादी राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा मेहनतकश जनता को धोखा देने की शासक वर्ग की उपयोगिता को खो दिया। मुनाफे को अधिकतम करने की पूंजी की चाहत ने उसे अपने शासन के मौजूदा ढांचे – विभिन्न अवधियों में किए गए सामाजिक अनुबंध (अपनाये गये सुधार) – को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया। मेहनतकश जनता के वेतन, नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और अन्य अधिकारों पर बढ़ते हमले रोज का क्रम बन गए। वेतन में अपेक्षाकृत गिरावट का सामना करना पड़ा और संविदात्मक, अस्थायी, कम भुगतान वाली नौकरियों ने नियमित अच्छे भुगतान वाली नौकरियों की जगह ले ली। लोगों के एक बड़े वर्ग के लिए 'अमेरिकी सपना' धूमिल हो गया। इस गुस्से को इन अति–दक्षिणपंथी ताकतों ने बड़ी पूंजी के लाभ अभियान को और तेज करने के लिए इस्तेमाल किया।

साम्राज्यवाद के इस गहराते आर्थिक संकट में पश्चिम का साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, अपनी रणनीति पर विभाजित था। उनमें से एक हिस्से ने एकध्रुवीय दुनिया की बहाली के प्रयास को जारी रखने का समर्थन किया, जो अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों, विशेष रूप से चीन के उदय के कारण कमजोर हो रही थी और प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के साथ सैन्य टकराव से उत्पन्न हो रही बहुध्रुवीय दुनिया के उद्भव को रोकने का समर्थन किया और इस उद्देश्य से साम्राज्यवादियों के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाए। दूसरा हिस्सा अमेरिका प्रथम की नीति के साथ आक्रामक रूप से अमेरिकी साम्राज्यवादी हितों को आगे बढ़ाना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की परवाह नहीं करना चाहता। संक्षेप में, यह अंतर–साम्राज्यवादी अन्तर्विरोध की भूमिका पर मतभेद था। जबकि एकध्रुवीयवादी सभी प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों, विशेष रूप से चीन और रूस, से मुकाबला करना चाहते थे, वहीं दूसरा हिस्सा मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख प्रतिद्वंद्वी, चीन से मुकाबला करना चाहता है। इस स्थिति में यूक्रेन में युद्ध, मतभेद का एक प्रमुख बिंदु बनकर उभरा। ट्रम्प और सहयोगी अमेरिकी धन को इस युद्ध में नहीं झोंकना चाहते थे, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी और यहां तक कि कई रिपब्लिकन ने इसमें एक–ध्रुवीय दुनिया को बहाल करने का अवसर देखा। ट्रम्प और उनके 'एक बार फिर अमेरिका को महान बनाओ' को सहयोगियों ने यूक्रेन को दी जा रही इस सहायता को आम अमेरिकियों द्वारा सामना की जाने वाली आर्थिक कठिनाइयों के खिलाफ खड़ा कर दिया।

गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायल के नरसंहार युद्ध को समर्थन देने और इस युद्ध को लेबनान तक विस्तारित करने पर बिडेन प्रशासन, डेमोक्रेटिक पार्टी नेतृत्व और रिपब्लिकन पार्टी के बीच कोई मतभेद नहीं रहा। यह युद्ध साम्राज्यवाद और उत्पीड़ित देशों के बीच अन्तर्विरोध से संबंधित है। फिलिस्तीनियों के इस नरसंहारक नस्लीय सफाए, लगातार जारी नकबा, के खिलाफ छात्रों, शिक्षकों, श्रमिकों और अन्य लोकतांत्रिक तबकों द्वारा बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन इन प्रदर्शनों को क्रूर पुलिस बल और छात्रों को शैक्षणिक दंडों से दबा दिया गया। इस मुद्दे पर दोनों खेमों के बीच कोई प्रत्यक्ष अंतर नहीं रहा, प्रत्येक पक्ष फिलिस्तीनियों और अरब पड़ोसियों के खिलाफ जियनवादी आक्रामकता के समर्थन में प्रतिस्पर्धी बयानबाजी में लिप्त रहा। डेमोक्रेटिक पार्टी की इस रणनीति ने उसे अपने समर्थक आधार – मेहनतकश जनता और अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं से अलग करने में योगदान किया। अरब अमेरिकी बिडेन प्रशासन से इजराइल के नरसंहार का समर्थन और वित्तपोषण करने के लिए नाराज थे और उन्होंने कमला हैरिस का समर्थन नहीं किया।

कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी शक्ति केंद्रों के समर्थन से प्राइमरीज से गुजरे बिना डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार तब नियुक्त किया गया था, जब यह स्पष्ट हो गया कि बिडेन अपनी मानसिक क्षमताओं में लड़खड़ा रहे हैं। हालाँकि, इससे उनके ऊपर पर बिना अपना कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किये बिडेन प्रशासन की अलोकप्रियता का बोझ आ गया। उन्होंने जो कहा उसमें दृढ़ विश्वास की कमी थी क्योंकि वह बिडेन प्रशासन का हिस्सा रही हैं।

इस बार ट्रंप का कार्यकाल पहले के कार्यकाल से अलग होगा जो अपने आप में काफी खराब था। राज्य की विभिन्न शाखाओं पर प्रभुत्व और रिपब्लिकन पार्टी पर लगभग पूर्ण नियंत्रण के साथ, ट्रम्प प्रशासन रिपब्लिकन प्रशासन के लिए प्रोजेक्ट 2025 के नीति नुस्खे लागू करेगा जो हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया है। यह महिलाओं (परिवारों की सुरक्षा के नाम पर), प्रवासियों और मेहनतकश जनता के खिलाफ पूर्णतः प्रतिक्रियावादी कार्यक्रम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्यकारी शाखा विशेषकर प्रशासन पर राष्ट्रपति के पूर्ण नियंत्रण की सलाह देता है। राष्ट्रपति पद के दौरान किए गए कृत्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई आपराधिक कार्रवाई से छूट के साथ, ट्रम्प लोगों के अधिकारों को अपने पैरों के नीचे कुचलने में और अधिक बेलगाम होने जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी होने से भी इनकार किया है, लेकिन उनके कई सलाहकार इसी थिंक टैंक (विचार समूह) से आए हैं। दस्तावेज का उद्देश्य अमेरिकी समाज और राजनीति को नया स्वरूप देना है। ट्रम्प का 'मुख्य शत्रु भीतर होने' की समझ इसी दस्तावेज से ली गई है।

ट्रम्प की जीत निश्चित रूप से अमेरिकी लोगों, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एक झटका है। प्रवासियों के खिलाफ ट्रम्प की बयानबाजी (वह उन्हें अवैध प्रवासी कहना पसंद करते हैं) निश्चित रूप से उत्पीड़ित देशों के लाखों श्रमिकों के लिए दमनकारी होगी।

ट्रम्प अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन को वापस लाने के प्रबल समर्थक रहे हैं। वह ऊंचे कर लगाकर इसे हासिल करना चाहते हैं। हालाँकि, यह अन्य देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च मूल्य वाले सामान खरीदने के लिए मजबूर करने की एक चाल है। उत्पादन को वापस लाने से केवल उत्पादन की लागत बढ़ेगी और इसके परिणामस्वरूप कीमतों में और वृद्धि होगी। ट्रम्प अधिक तेल और गैस की निकासी बढ़ाने के बारे में भी आवाज उठा रहे हैं। इसका जलवायु परिवर्तन रोकने की कार्रवाई के खिलाफ जाने के अलावा अधिक अमेरिकी तेल, गैस की कीमतों को कम कर सकता है, लेकिन अमेरिका अन्य उत्पादकों से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि अमेरिकी तेल महंगा है। इसके लिए उसे अपने नियंत्रण वाला बाजार विकसित करना होगा जैसे कि बिडेन ने रूसी ऊर्जा उत्पादों के खिलाफ प्रतिबंधों के माध्यम से यूरोप में किया है।

ट्रम्प ने युद्धों के विरोध को अपने मुख्य मुद्दों में से एक बनाया है। उन्होंने सत्ता में आने के '24 घंटों के भीतर' यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का दावा किया है। यूक्रेन युद्ध खत्म करना आसान हिस्सा हो सकता है क्योंकि अमेरिका मुख्य सहायता प्रदाता है। हालाँकि उनकी मध्य पूर्व में, जहाँ इजराइल की आक्रामकता युद्ध को व्यापक बना रही है, युद्धों को खत्म करने या धीमा करने की कोई योजना नहीं है। वह सभी देशों को धमकी नहीं दे सकता और न ही दे पाएगा। हो सकता है कि अन्य साम्राज्यवादी शक्तियाँ गाजा और लेबनान में इजरायल के युद्ध में हस्तक्षेप न करें, पर ईरान के खिलाफ युद्ध अलग श्रेणी में आता है। पिछले चार वर्षों में दुनिया बहुत बदल गई है।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

महाराष्ट्र और झारखंड

अप्रैल–जून 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद से राज्य विधानसभा चुनावों का दूसरा दौर नवम्बर 2024 में झारखंड और महाराष्ट्र में हुआ। भारत के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले राज्य महाराष्ट्र में, आरएसएस–बीजेपी ने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी के साथ महायुति का नेतृत्व किया और प्रचंड जीत हासिल की। उन्हें कुल 288 में से 234 सीटें मिलीं, जबकि विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल थीं, को केवल 50 सीटें मिलीं। आनुपातिक रूप से बड़ी आदिवासी आबादी वाले राज्य झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली आई.एन.डी.आई.ए. के झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई (एम–एल)–लिबरेशन के गठबंधन ने कुल 81 में से 56 सीटें हासिल कर दो तिहाई बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन केवल 24 सीटों पर सिमट गया (भाजपा को 21 सीटें मिलीं)। झारखंड के गठन के बाद यह पहली बार था कि किसी पार्टी/गठबंधन को दो–तिहाई बहुमत मिला है और वह राज्य में पुनःनिर्वाचित हुए हैं।

इन दो राज्य विधानसभा चुनावों के अलावा, कई राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों और दो संसदीय सीटों के लिए उपचुनाव हुए। कांग्रेस को दोनों संसदीय सीटें मिलीं, राज्य विधानसभा उपचुनावों में संबंधित सत्तारूढ़ दलों का दबदबा रहा – यूपी, गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान में बीजेपी, बिहार में एनडीए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, कर्नाटक में कांग्रेस और पंजाब में आप, जबकि केरल में कांग्रेस और सीपीआई (एम) द्वारा एक–एक और मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने एक–एक सीटें हासिल कीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री चुनाव में पराजित हुआ।

दोनों राज्यों– झारखंड और महाराष्ट्र में अप्रैल–जून में हुए संसदीय चुनावों की तुलना में मतदान में वृद्धि दर्ज की गई। यह आंशिक रूप से शासक वर्ग के दलों के गठबंधनों के बीच तीव्र चुनावी लड़ाई के कारण था। जहां झारखंड में यह 69.19 फीसदी से 66.65 फीसदी की मामूली वृद्धि हुई, वहीं महाराष्ट्र के मामले में वद्धि काफी ज्यादा थी, लोकसभा चुनावों में 61.29 फीसदी के मुकाबले विधानसभा चुनावों में 66.05 फीसदी।

दोनों राज्यों यानी झारखंड और महाराष्ट्र में, विजयी गठबंधन ने लगभग छह महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों की तुलना में चुनावों में वोट शेयर में भारी वृद्धि दर्ज की। यह चुनावी नतीजों की अस्थिर प्रकृति और तात्कालिक कारकों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाना दर्शाता है। यह संसदीय और विधानसभा चुनावों के बीच बदलाव का कोई निर्धारित पैटर्न नहीं दिखाता है। महाराष्ट्र में आई.एन.डी.आई.ए. ब्लॉक ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था (कुल 48 सीटों में से 30 सीटें हासिल की थीं) जबकि झारखंड में एनडीए ने बहुमत सीटें (कुल 14 सीटों में से 9) हासिल की थीं। केवल छह महीनों ने शासक वर्ग के गठबंधनों के चुनावी भाग्य में कितना अंतर ला दिया है! यह अस्थिरता अर्थात जनता की राय में बदलाव जनता को आंदोलनों और संघर्षों में शामिल करने का अवसर दिखाती है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह महाराष्ट्र के मामले में भी चुनाव आयोग के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। आपत्ति करने वाली पार्टी/पार्टियों की चिंताओं को दूर करने के बजाय, चुनाव आयोग ने शिकायतकर्ताओं के प्रति आक्रामक रवैया अपनाया है, यहां तक कि तटस्थ दिखने का दिखावा भी छोड़ दिया है। हरियाणा के मामले में यह रवैया काफी स्पष्ट था। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायतें, चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने और जोड़ने दोनों पर केंद्रित हैं। प्रति निर्वाचन क्षेत्र में औसतन लगभग 10,000 नए मतदाता जुड़े। 50 के लगभग विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में प्रति क्षेत्र 50,000 वोट बढ़ने की रिपोर्ट है जो वो वोटर संख्या में इस समयावधि में होने वाली बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा है। दूसरी शिकायत मतदान के दिन शाम 5 बजे चुनाव आयोग द्वारा घोषित मतदान प्रतिशत से लेकर मतदान के दिन, रात 11 बजे घोषित मतदान प्रतिशत में वृद्धि से संबंधित है और फिर मतगणना के दिन से ठीक पहले शाम को इसमें और वृद्धि घोषित करने से जुड़ी है। चुनाव आयोग ने चुनाव के दिन शाम 5 बजे 58.22 फीसदी मतदान की घोषणा की थी, जो मतदान के दिन, रात 11 बजे के बीच 6 फीसदी से अधिक बढ़ाकर, 65.02 फीसदी घोषित की गयी और गिनती के दिन से पहले शाम को 66.05 फीसदी हो गयी। यह कुल 8 फीसदी से कुछ कम की वृद्धि थी। यह बढ़ोतरी झारखंड की तुलना में, जहां एक साथ चुनाव हुए थे, काफी बड़ी है।

ये शिकायतें चुनाव में धन के उपयोग को रोकने में चुनाव आयोग की विफलता के साथ–साथ अभियान में भाजपा नेताओं द्वारा सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ प्रचार को रोकने में विफलता के अलावा हैं। चुनाव आयोग अपनी आचार संहिता के अनुसार इनकी जाँच करने के लिए बाध्य था। चुनाव आयोग को चुनाव के संचालन के बारे में शिकायतों का समाधान करना चाहिए, विशेष रूप से मतदाता सूचियों में बदलाव और मतदान प्रतिशत में बड़ी वृद्धि के बारे में विशिष्ट शिकायतों पर। जहां इतनी बड़ी वृद्धि हुई वहां आरएसएस–बीजेपी लाभार्थी रही है, इससे चुनाव आयोग द्वारा आरएसएस–बीजेपी के प्रति पक्षपात के संदेह को बल मिला है। इन शिकायतों पर शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि चुनाव आयोग कार्रवाई करने में विफल रहता है तो सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। फासीवादी ताकतें लोकतांत्रिक प्रथाओं को जिस हद तक वे मौजूद हैं, सिलसिलेवार ढ़ंग से कमजोर कर रही हैं और चुनावों के निष्पक्ष आचरण को कमजोर करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

इन चुनावों में एक निश्चित वार्षिक आय से नीचे के परिवारों की महिलाओं को आर्थिक लाभ (नकद हस्तांतरण) की योजनाओं की भूमिका मीडिया द्वारा महत्वपूर्ण बतायी गयी है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने 1500 रुपये प्रति माह देकर लड़की बहना योजना शुरू की और भुगतान इस वर्ष जुलाई से शुरू किया। झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने एक समान योजना – मैया सम्मान योजना के तहत 1000/– प्रति माह रुपये का भुगतान किया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना नामक ऐसी योजना को 2023 के राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में आरएसएस–भाजपा की व्यापक जीत में योगदान देने का श्रेय दिया गया था। भाजपा ने ओडिशा में सुभद्रा योजना नामक एक ऐसी ही योजना का वायदा किया था और सत्ता में आने के बाद इसे लागू किया है। इस तरह की मामूली रकम ने चुनावों में भूमिका निभाई है, यह केवल ग्रामीण भारत में लोगों के एक बड़े वर्ग, विशेषकर महिलाओं की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इस तरह की रकम को चुनावी गेम चेंजर के रूप में चित्रित किया जा रहा है, इसका कारण देश में गहरा कृषि संकट और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, जिसे शासक वर्ग की पार्टियां संबोधित करने में अनिच्छुक या असमर्थ हैं। शासक वर्ग की पार्टियों के पास गहराते कृषि संकट, औद्योगिक ठहराव और बढ़ती बेरोजगारी के अंतर्निहित प्रणालीगत कारणों को संबोधित करने की कोई इच्छा या योजना नहीं है।

इन मुद्दों को संबोधित करने में भारत को साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी और उनके भारतीय सहयोगियों के चंगुल से बाहर निकालना और विशाल ग्रामीण इलाकों को अर्द्ध–सामंतवाद और बड़ी ग्रामीण आबादी पर अत्याचार करने वाले निहित स्वार्थों के गठजोड़ के दमन से मुक्त कराना शामिल है। चूँकि शासक वर्ग की पार्टियाँ इन्हीं शोषक ताकतों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए वे आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे ऐसी मामूली धन वाली योजनाओं के साथ आगे आ रही हैं, और अपनी योजनाओं की तुलना अपने चुनावी विरोधियों की इस तरह की योजनाओं से कर रही हैं, उनकी तथाकथित रेवड़ियों की तुलना उनके विरोधियों से की जा रही है। प्रत्येक नागरिक लाभकारी और सार्थक रोजगार का हकदार है और यदि सरकार ऐसा रोजगार सुनिश्चित करने में विफल रहती है तो उचित भत्ते का भी हकदार है। यह मामूली रकम देश के लोगों की गरीबी और बदहाली का मजाक है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए इन योजनाओं की राशि उस स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए जो उचित हो।

आरएसएस–भाजपा के सांप्रदायिक विभाजनकारी दृष्टिकोण के इस प्रयोग को शासक वर्ग के बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त है। दुनिया भर में शासक वर्ग मेहनतकश लोगों को विभाजित करने और उनकी लगातार बिगड़ती स्थितियों से ध्यान हटाने के लिए ध्रुवीकरण के नारों का सहारा ले रहे हैं, उनके संकट के वास्तविक कारणों के लिए इन कृत्रिम कारणों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। साम्राज्यवादी व्यवस्था गहराते संकट में है और लोगों के आंदोलनों को रोकने और कॉरपोरेट के मुनाफे को अधिकतम करने के लिए दुनिया भर में इन विभाजनकारी और ध्रुवीकरण ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में यह कोई अकेली घटना नहीं है, हालाँकि इसकी अभिव्यक्ति इसकी सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक संरचना के अनुरुप है। जनआंदोलन इस आख्यान को चुनौती देते हैं और इसलिए उन्हें बेरहमी से दबा दिया जाता है। जनता के संघर्षों और विशेष रूप से क्रांतिकारी कम्युनिस्टों का क्रूर दमन इस विभाजनकारी और संकीर्ण एजेंडे के प्रसार के साथ–साथ चलता है। फासीवादी ताकतें अस्थायी रूप से मेहनतकश लोगों सहित लोगों का ध्यान भटकाने में सफल हो सकती हैं, खासकर जहां इस एजेंडे के खिलाफ कोई मजबूत प्रतिरोधी ताकतें नहीं हैं। आरएसएस–बीजेपी के इस एजेंडे की अपील उत्तरी और पश्चिमी भारत में अधिक है, हालांकि यह देश के अन्य हिस्सों में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। साथ ही अन्य शासक वर्ग की पार्टियाँ इस एजेंडे का मजबूती से मुकाबला करने में विफल हैं और बड़े पैमाने पर जन आंदोलनों का अभाव भी है जो इस एजेंडे के जन–विरोधी चरित्र को उजागर करे।

झारखंड : आदिवासियों का गुस्सा एक बार फिर आरएसएस–बीजेपी पर भारी पड़ा

झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन 2019 में आरएसएस–भाजपा सरकार के खिलाफ आदिवासियों के गुस्से के बल पर सत्ता में आया था। उसने 81 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटें हासिल की थीं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को बदलने और आदिवासी जमीनों को कॉरपोरेट को सौंपने के उनके प्रयासों और तत्कालीन आरएसएस–भाजपा सरकार द्वारा उनके विरूद्ध हमलों के विरोध में आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए उठे पत्थलगड़ी आंदोलन के क्रूर दमन के कारण लोगों, विशेषकर आदिवासियों में स्पष्ट गुस्सा था। आदिवासियों का गुस्सा इतना था कि उनकी सहयोगी पार्टी एएजेएसयू भी चुनाव से पहले ही उनसे अलग हो गई थी।

झामुमो के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने इस बार दो तिहाई बहुमत से अधिक 56 सीटें जीतीं। उन्हें 44.33 फीसदी वोट मिले और उन्होंने पिछली बार से 9 सीटें अधिक हासिल कीं, जिसमें जेएमएम को 34, कांग्रेस को 16, राजद को 4 और सीपीआई (एमएल)–लिबरेशन को 2 सीटें मिलीं। सीपीआई (एमएल)–लिबरेशन, हालांकि बगोदर में हार गई, जहां से वह कई बार जीत चुकी थी। छह महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में आई.एन.डी.आई.ए. ब्लॉक को 38.97 फीसदी वोट मिले थे और 29 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी। दूसरी ओर, विधानसभा चुनावों में आरएसएस–बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 38.14 फीसदी वोट मिले और उसे 24 सीटें मिलीं, बीजेपी को 21 और एएजेएसयू, जेएसपी–रामविलास और जेडी (यू) को एक–एक सीट मिलीं। संसदीय चुनाव में एनडीए को 47.22 फीसदी वोट मिले थे और उसने 52 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी। एनडीए के वोटों में 9 फीसदी से अधिक की गिरावट आई, जबकि जेएमएम के नेतृत्व वाले ब्लॉक के वोटों में लगभग 5.4 फीसदी की वृद्धि हुई।

में विधानसभा चुनाव पर

विधानसभा चुनाव में मुद्दे झारखंड और खासकर आदिवासियों से ज्यादा जुड़े थे। आदिवासी आरएसएस–भाजपा शासन को नहीं भूले हैं जो आदिवासी विरोधी था और माना भी जाता था। इस माहौल में, एक आदिवासी नेता पर हमले के साथ–साथ हेमन्त सोरेन की गिरफ्तारी और जब हेमन्त सोरेन जेल में थे तब झामुमो से चम्पई सोरेन को भाजपा द्वारा अपने पाले में लाना भी आदिवासियों पर कोई असर नहीं डाल सका। हालांकि शहरी इलाकों में एनडीए का दबदबा रहा और उसे आई.एन.डी.आई.ए. ब्लॉक के 40 फीसदी की तुलना में 49 फीसदी वोट मिले, लेकिन विशाल ग्रामीण इलाकों में एनडीए को झटका लगा।

इन चुनावों में आदिवासियों ने आरएसएस–भाजपा के कथित 'बांग्लादेशी घुसपैठ' और 'जनसांख्यिकीय परिवर्तन' एजेंडे को खारिज कर दिया। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे संथाल परगना क्षेत्र में आरएसएस–भाजपा बुरी तरह हार गई। आई.एन.आई.डी.ए. ब्लाक को इस क्षेत्र में 52.2 फीसदी वोट मिले और उसे कुल 18 सीटों में से 17 सीटें मिलीं। आदिवासियों की एकता ने आरएसएस–भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे पर एक बड़ी रोक के रूप में काम किया। झारखंड में एसटी के लिए आरक्षित कुल 28 सीटों में से आरएसएस–बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली।

जयराम महतो के नेतृत्व वाले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेकेएलएम) के मजबूत चुनावी प्रदर्शन से आरएसएस–भाजपा का वोट आधार और भी कम हो गया। हालाँकि जेकेएलएम जेकेएलएम को केवल एक सीट मिली, लेकिन उन्हें 10.31 लाख वोट (लगभग 5.8 फीसदी) मिले और उनके उम्मीदवार कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रहे और कई निर्वाचन क्षेत्रों में पर्याप्त वोट मिले, जिससे आजसू और भाजपा उम्मीदवारों की संभावनाएं कम हो गईं। इसकी तुलना में आजसू को महज 3.4 फीसदी वोट मिले। जेकेएलएम को कुर्मी महतो वर्ग से समर्थन मिला, जिसकी झारखंड में बड़ी आबादी (20 फीसदी से अधिक) है। महतो वोटों के बंटने और एक बड़ा हिस्सा जेकेएलएम को जाने से, आरएसएस–बीजेपी को मुख्य रूप से गैर–झारखंडी वर्गों से समर्थन मिला।

हालांकि आरएसएस–बीजेपी झारखंड में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से आदिवासियों के बीच बहुत पैसा खर्च करके काम कर रही है और आदिवासियों का 'हिंदूकरण' करने के एजेंडे के साथ काम कर रही है, लेकिन इसे आदिवासियों के बीच झटका लगा है जो 'वनवासी कल्याण' के धोखे को अपनी जमीन और संसाधन कॉरपोरेट को सौंप देने की एक चाल के रूप में देख रहे हैं।

महाराष्ट्र : सांप्रदायिकता, योजनाओं का हथियारीकरण और चुनावी हेरफेर का मिश्रण

महाराष्ट्र में आरएसएस–भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने आई.एन.डी.आई.ए. ब्लाक पर बड़ी जीत हासिल की, जहां बमुश्किल छह महीने पहले लोकसभा चुनाव में उसी गठबंधन से वह हार गया था। उसे विपक्ष की 50 सीटों के मुकाबले 234 सीटें मिलीं, जबकि लोकसभा में उसे आई.एन.डी.आई.ए. ब्लॉक की 30 के मुकाबले में केवल 17 सीटें मिली थीं, एक सीट स्वतंत्र उम्मीदवार को मिली थी। महायुति के तीन घटकों ने 48.16 फीसदी वोट हासिल किए (भाजपा 26.77 फीसदी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 12.38 फीसदी और अजीत पवार की एनसीपी 9.01 फीसदी) जबकि एमवीए के तीन मुख्य घटकों ने 33.66 फीसदी वोट हासिल किए (कांग्रेस 12.42 फीसदी, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 11.28 फीसदी और शिव सेना उद्धव ठाकरे 9. 96 फीसदी) और छोटे सहयोगी दल जैसे सीपीएम, एसपी और पीडब्ल्यूपी को मिलाकर उसे 35.2 फीसदी वोट मिले। राज ठाकरे की एमएनएस को 1.55 फीसदी वोट मिले। महायुति ने महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में बढ़त प्राप्त की और सभी में बहुमत सीटें हासिल कीं।

एमवीए की गिरावट को लोकसभा चुनावों में उनके चुनावी प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है, जब एमवीए ने 46.3 फीसदी वोट हासिल किए थे, जबकि आरएसएस–भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने लगभग 45 फीसदी वोट हासिल किए थे। लोकसभा चुनावों में एमवीए उम्मीदवारों ने 155 विधान सभाओं में बढ़त बनाई थी और महायुति उम्मीदवारों ने 125 विधानसभा क्षेत्रों में। एमवीए ने लगभग दो तिहाई लोकसभा सीटें हासिल करने के बावजूद, वोट शेयर और विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त के मामले में यह एक करीबी चुनाव था। कई क्षेत्रों में बढ़तं काफी कम थी। इन चुनावों में महायुति का वोट शेयर लगभग 4 फीसदी बढ़ा लेकिन एमवीए का वोट शेयर 11 फीसदी से अधिक गिर गया। एमवीए वोटों में इस तीव्र गिरावट को लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन के कारण एमवीए द्वारा अपनी जीत को हल्के में लेने की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र चुनावों में चुनाव आयोग की भूमिका, संहिता उल्लंघन और पहले उल्लेखित अन्य कारकों के कारण कई बिन्दुओं पर जांच के दायरे में आ गई है।

चुनाव आयोग के कथित पक्षपातपूर्ण रवैये के अलावा, आरएसएस–भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने नकद हस्तांतरण योजनाओं का मिश्रण अपनाया, जिन्हें आरएसएस कैडर नेटवर्क और राज्य कर्मचारियों के बीच इसकी पैठ, जबरदस्त सांप्रदायिक प्रचार और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आक्रामक प्रयासों द्वारा हथियार बनाया गया। इसे हासिल करने के लिए मोदी, शाह और योगी ने जहर फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके जरिए उन्होंने लोगों की समस्याओं को और उन्हें हल करने में सरकार की विफलता को छिपाने की कोशिश की। इसमें उन्हें इस तथ्य से मदद मिलती है कि शासक वर्ग की विपक्षी पार्टियाँ कोई वैकल्पिक नीति पेश नहीं करती हैं। महाराष्ट्र गहरे कृषि संकट, किसानों द्वारा बड़ी संख्या में आत्महत्याओं और बढ़ती ऋणग्रस्तता और विशेष रूप से शिक्षित युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी से पीड़ित है। किसानों की समस्याएं, यानी सोया और प्याज की दरें और दूध उत्पादकों की समस्याएं बढ़ी हैं, लेकिन संसदीय विपक्षी दलों ने उन्हें नहीं उठाया। जबकि लोगों का मोहभंग बढ़ रहा है, इसे सही दिशा देने के लिए आंदोलन सामने नहीं आए हैं, जो फासीवादी ताकतों को लोगों को विभाजित करने और झूठे वायदों और विभाजनकारी बयानबाजी के माध्यम से उनका ध्यान भटकाने की अनुमति देता है।

आरएसएस–भाजपा फासीवादी मुहिम को तेज करने की कोशिश कर रही है

आरएसएस–भाजपा महाराष्ट्र में जीत को अपने फासीवादी अभियान के समर्थन के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी कदाचार के अलावा, यह एक गठबंधन की जीत है और गठबंधन के तनाव सत्ता साझा करने के सवाल पर बहुत स्पष्ट हैं और रहेंगे। फिर भी, यह जीत फासीवाद–विरोधी ताकतों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। यह एक बार फिर साबित करता है कि शासक वर्ग की विपक्षी पार्टियाँ चुनावी लाभार्थी हो सकती हैं, लेकिन फासीवादी ताकतों के आगे बढ़ने के लिए प्राथमिक चुनौती जनता के आंदोलनों, मेहनतकश लोगों के संघर्षों आती है।

देश की जनता बेचैन है। चुनावी कवायद उन्हें सीमित विकल्प देती है। उनके वास्तविक हित, उनके बुनियादी मुद्दों– भूमि और आजीविका, रोजगार और उचित आय के लिए संघर्ष को तेज करने की मांग करते हैं। ये संघर्ष, संघर्ष रने के लोकतांत्रिक अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इसलिए इस जनवादी अधिकार को, जिस हद तक वह है, नष्ट करने पर आमादा फासीवादी ताकतों से लड़ने की जरूरत है। ये संघर्ष आपस में जुड़े हुए हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष साम्राज्यवाद के प्रभुत्व वाली और घरेलू प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों – बड़े पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों द्वारा प्रबंधित वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ लोगों के संघर्ष का अभिन्न अंग रहा है। फासीवादी अभियान की वर्तमान स्थिति में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष का महत्व और भी बढ़ गया है। कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को विशेष रूप से वर्ग संघर्ष और जन आंदोलनों को तेज करना चाहिए – विशेष रूप से मजदूरों और किसानों के, आदिवासियों और दलितों के, महिलाओं और युवाओं के संघर्षों को। साथ ही लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमलों के खिलाफ संघर्ष भी समय की जरुरत हैं।

(न्यू डेमोक्रेसी दिसंबर 2024 से)

नोएडा (उत्तर प्रदेश) में किसानों पर दमन, गिरफ्तारियां

सरकार जमीन का मुआवजा देने के पूर्व समझौते व हाईकोर्ट आदेश पर अमल करने से पीछे हट रही है

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की केन्द्रीय कार्यकारिणी ने नोएडा के किसानों पर हुए लाठीचार्ज तथा 3 दिसम्बर को 123 किसानों की गिरफ्तारी की कड़ी निन्दा करते हुए कहा है कि योगी सरकार किसी भी कानून व नियम का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। अनुशासन और शांति बनाए रखने की आड़ में पुलिस अराजकता को खुली छूट मिली हुई है और आम जन के एकत्र होकर शांतिपूर्वक ढंग से मांग उठाने, बोलने, अपनी मांग पेश करने और यहां तक कि अब घरों से निकलने तक पर रोक लगा दी है। कल प्रेरणा स्थल से उठाए गए किसानों को छोड़ने के बाद आज उसने तुगलपुर गांव में हो रही शांतिपूर्वक बैठक को रोक दिया, जीरो प्वाइंट को छावनी बनाकर किसानों की महापंचायत नहीं होने दी और गांव में घरों में घुसकर बड़ी संख्या में महिला व पुरुष किसानों को हिरासत में लिया है।

वास्तव में योगी की आरएसएस–भाजपा सरकार कम्पनियों व बिल्डरों की सेवा के लिए मनमाने ढंग से गांव के गांव उजाड़ रही है, मनमाने ढंग से किसानों की जमीन छीन कर उन्हें बेदखल कर रही है और इस हद तक निरंकुशता पर उतर आई है कि हाईकोर्ट के आदेशों का भी पालन करने को राजी नहीं है।

पिछले कई सालों से नोएडा के किसान जमीन के बेहद कम दाम पर गांव की जमीनें बिल्डरों को देने का विरोध करते रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में दाखिल हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं में उनका मुआवजा बढ़ाने के फैसले दिये गये हैं। फिलहाल विवाद में फंसी जमीनों में दिये गये मुआवजे को 64 फीसदी बढ़ाकर देने के आदेश हुए हैं। साथ में ली गयी जमीन का 6 से 10 फीसदी हिस्सा विकास किये जाने के बाद प्लाट के रूप में किसानों को लौटाने का समझौता अथॉरिटी ने किया हुआ है। उक्त फैसले भूमि अधिग्रहण पुनर्वास व पुनर्स्थापना कानून, एलएआरआर 2013 के अनुपालन न किये जाने की स्थित में उत्पन्न विवादों के समाधान के रूप में किये गये थे। योगी सरकार इसका भी पालन करने को राजी नहीं है।

लम्बे समय से और बीच–बीच में संचालित धरने प्रदर्शनों के साथ, इस बार किसानों ने 2 दिसम्बर को दिल्ली कूच की तैयारी की। उन्हें हजारों की संख्या में अम्बेडकर मूर्ति दलित प्रेरणा स्थल के बाहर रोक दिया गया और आश्वासन दिया गया कि सप्ताह भर में मुख्य सचिव से बात करायी जायेगी। वार्ता होने तक किसानों ने धरना वहीं जारी रखने का फैसला किया पर अगले दिन धरने से करीब 123 किसानों को हिरासत में लेकर धरना खत्म कर दिया गया। 4 दिसम्बर को पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए और बिजली निगमों के हो रहे निजीकरण के विरुद्ध प्रदर्शनों में इसकी निन्दा की गयी। नोएडा यमुना एक्स्प्रेस वे के प्रारम्भ के जीरो प्वाइंट पर किसान एकत्र हुए। इस धरने में पहुँचने से पुलिस ने एसकेएम के कई नेताओं को रोक दिया। पर संख्या को बढ़ते हुए देखकर सरकार दबाव में आयी और उसने गिरफ्तार किसानों को रिहा किया।

एसकेएम ने पूरे देश में इस दमन के विरुद्ध संघर्ष संगठित करने का आह्वान किया है।

पीडीएसयू भगत सिंह-चे ग्ववेरा की क्रांतिकारी विरासत जारी रखेगा: जगमोहन सिंह

विजयवाड़ा में पीडीएसयू के अर्ध शताब्दी वर्ष पर शानदार आयोजन– मोदी सरकार की फासीवादी नीतियों के खिलाफ मजबूत छात्र आंदोलन का निर्माण करें–

समान समाज की स्थापना के लिए संघर्ष तेज करें–

भगत सिंह के भतीजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने कहा– पीडीएसयू शिक्षा व रोजगार के लिए लड़ने वाला जुझारू संगठन

प्रगतिशील लोकतांत्रिक छात्र संगठन (पीडीएसयू) की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ 5 नवंबर 2024 को एम. बसवापुन्नैया विज्ञान केंद्र विजयवाडा में शानदार ढंग से आयोजित की गई। पीडीएसयू ध्वज का अनावरण पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पी. प्रसाद ने किया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ई. भूषणम और राजशेखर ने की और जम्पला चंद्रशेखर प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बल्कि जाति, धर्म, आर्थिक और सामाजिक मतभेदों से मुक्त समाज के लिए पीडीएसयू लैटिन अमेरिका के क्रांतिकारी चे ग्वेरा, राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नायक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और करतार सिंह सराभा जैसे क्रांतिकारी नायकों की विरासत को जारी रखेगी।

जगमोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को कॉरपोरेट कंपनियां को सौंप रही है और देश को एक केक के टुकड़े के रूप में बेच रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ब्रिटिश सरकार राष्ट्रीय आंदोलन के नायकों को दबाने के लिए रोलेट एक्ट लाई थी। वैसे ही आज के भाजपा शासक यूएपीए का इस्तेमाल करते हैं और असहमत कवियों, कलाकारों, प्रोफेसरों और बुद्धिजीवियों को जेल में डालते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को अंडा सेल में बंद कर उनकी मौत के लिए और जम्लापा चंद्रशेखर प्रसाद, श्रीपद श्री हरि जैसे छात्र शहीदों के संघर्ष की विरासत को जारी रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर पीडीएसयू तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष और सचिव महेश, मधु, श्रीकांत और नागराजू ने कहा कि हमें शहीद छात्रों के संघर्ष की भावनाओं से लैस होकर केंद्र और राज्य सरकारों की शिक्षा नीतियों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। कार्यक्रम में पीडीएसयू के राज्य महासचिव के भास्कर और विनोद कुमार, राज्य सहायक सचिव राजेश, नानी और सुनील, उपाध्यक्ष अंकन्ना महर्षि, राज्य नेता रामबाबू, अभिश्री, नागेश्वर राव और विनोद अखंड आदि नेताओं ने विचार व्यक्त किए।

सभा में बोलते हुए प्रो. जगमोहन सिंह

सभा हाल का एक दृश्य

पीडीएसयू के राज्य महासचिव के. भास्कर ने शहीद छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीडीएसयू के अर्ध शताब्दी वर्ष पर शहीद–ए– आजम सरदार भगत सिंह के भतीजे और अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने मुख्य वक्ता के तौर पर विचार व्यक्त किए।

समारोह को संबोधित करते हुए प्रो. जगमोहन सिंह ने कहा कि भगत सिंह द्वारा स्थापित नौजवान भारत सभा (एसबीएस) के 100 साल और प्रगतिशील छात्र संगठन के 50 वर्ष ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि 50 साल पुरानी पीडीएसयू ने सभी छात्रों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए, शिक्षा के निजीकरण और निगमीकरण के खिलाफ और सरकारी शिक्षा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कई लड़ाइयां लड़ी हैं। उन्होंने कहा कि ना केवल शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए, भाजपा जिम्मेदार है। जिन सरकारों को लोगों को मुक्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा देनी चाहिए थी, वह इसे बहुत महंगा कर रही हैं। कॉरपोरेट कंपनियों को लाखों करोड़ रुपए माफ करते हुए गरीब लोगों पर करों का बोझ डाला जा रहा है और छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और फैलोशिप में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 से उच्च शिक्षा गरीब छात्रों से और दूर हो जाएगी।

पीडीएसयू के पूर्व राज्य अध्यक्ष पी प्रसाद (पीपी) और चित्तपति वेंकटेश्वरलू ने कहा कि प्रगतिशील छात्र आंदोलन पर दमन का असर पूरे राज्य में होगा। उन्होंने छात्रों से पढ़ाई के साथ–साथ अपना सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने और व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष में भाग लेने का आवाहन किया। जॉर्ज रेड्डी

पंजाब स्टूडेंट यूनियन द्वारा अपनी मांगों के लिए 'आप' कार्यालय और संगरूर सांसद के आवास का घेराव

पंजाबियों के लिए 90 प्रतिशत आरक्षण और शिक्षा को राज्य सूची में बहाल करने की मांग पर पंजाब स्टूडेंट यूनियन ने गिद्दड़बाहा में एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया। बरनाला में मीत हेयर (संगरूर सांसद) के आवास का भी घेराव किया

गया। दोनों प्रदर्शनों में छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

पीएसयू नेताओं ने कहा कि सरकार में चुनकर आने से पहले 'आप' ने शिक्षा क्रांति का वादा किया था। संगरूर से सांसद रहते हुए सीएम भगवंत मान ने भी मांग उठाई थी कि राज्य में नौकरियों में पंजाबियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन सत्ता में आने के बाद 'आप' ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। केंद्र पंजाब पर केंद्रीकरण की नीतियां थोप रहा है और पंजाब सरकार इसका विरोध करने के बजाय इसमें भागीदार है। पंजाब सरकार केंद्र की नई शिक्षा नीति (एनईपी) भी लागू कर रही है। इस नीति के भयावह परिणाम अब सामने आने लगे हैं। हाल ही में स्वायत्तता देने के नाम पर 8 सरकारी कॉलेजों का निजीकरण किया जा रहा था, लेकिन शिक्षकों और छात्रों के कड़े विरोध ने सरकार को रोक दिया। अब पंजाब के शिक्षा मंत्री मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों में विलय करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कदम भी एनईपी से उपजा है। उद्देश्य मौजूदा स्कूलों को बड़ी संख्या में बंद करने का है। शिक्षा तक पहुंच को समाज के बड़े तबके से छीनने की योजना तैयार है। यह नीति उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट लाएगी। यह नीति छात्रों पर अवैज्ञानिक पाठ्यक्रम भी थोपती है।

इसके अलावा, छात्र नेताओं ने कहा कि बेरोजगारी पंजाबी युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। 15 से 29 वर्ष की आयु में बेरोजगारी दर 7.7% है। कृषि एक असफल व्यवसाय बन चुका है, राज्य में उद्योग नगण्य हैं, सेवा क्षेत्र का निजीकरण हो गया है और इस सबसे रोजगार मिलना मुश्किल हो चुका है। इसका परिणाम है गुंडागर्दी और नशाखोरी, और विदेश जाना आम हो चुका है। लेकिन संकट वैश्विक है। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व की परिस्थितियों ने उन देशों में रोजगार के अवसरों को नुकसान पहुंचाया है। विदेश भी अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, कनाडा सरकार ने 1 लाख 30 हजार छात्रों को वापस भेजने का फैसला किया है। इसका मतलब है बेरोजगारी की स्थिति और बदतर होने वाली है। इस कारण पंजाब में पैदा होने वाले रोजगार पंजाबियों को मिलने चाहिए। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक आदि ने अपने लोगों के लिए 85% कोटा रखा है। दूसरी ओर पंजाब में 70% नौकरियां गैर पंजाबियों के पास हैं। इसलिए पंजाब में पैदा होने वाले 90% रोजगार पंजाबियों को मिलने चाहिए। भर्ती के दौरान, पंजाबी भाषा में प्राप्तांकों को योग्यता की गणना में शामिल करना चाहिए और निवास प्रमाण पात्रता 3 से बढ़ाकर 10 साल की जानी चाहिए।

पीएसयू नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार इस प्रकार सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है कि राज्यों के बचे हुए सभी अधिकार गायब हो जाएं। बांध सुरक्षा अधिनियम, तीन कृषि कानून और सीमावर्ती राज्यों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का दायरा बढ़ाना इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। नई शिक्षा नीति से केंद्रीकरण का जोर शिक्षा में भी बढ़ रहा है। यह नीति शिक्षा के विषय में राज्यों के सभी अधिकारों को छीनकर, इसे केंद्रीय अधिकारियों के अधीन कर देगी क्योंकि सभी राज्य विश्वविद्यालय संबंधित राज्यपाल के बोर्ड के अधीन आ जाएंगे, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) बन चुकी है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश का केंद्रीकरण किया जा चुका है। राज्यों को इस नीति को लागू करने के लिए वित्त आवंटित करने पर कोई निर्णय लेना तो दूर, राज्य केंद्र को कोई सुझाव भी नहीं दे पाएंगे।

पीएसयू के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह कुरार, महासचिव अमनदीप खिओवाली वक्ताओं में शामिल थे।

आरएसएस द्वारा फिलिस्तीनी बच्चों को समर्पित फिल्म फेस्टिवल रोकना निंदनीय : जन हस्तक्षेप

रविवार 17 नवंबर, 2024 को 9 वें 'उदयपुर फिल्म महोत्सव' पर आर.एस.एस. के गुंडों द्वारा प्रहार व उनके दबाव में प्रशासन द्वारा महोत्सव को रोके जाने की जनहस्तक्षेप कड़ी निंदा करता है। कबीर के गीतों पर आधारित शबनम विरमानी की फिल्म 'हद–अनहद' की स्क्रीनिंग को 9वें उदयपुर फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन आरएसएस–भाजपा के गुंडों के दबाव एवं आतंक के कारण बीच में ही रोक दिया गया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी संघ के गुंडों के आगे घुटने टेकते हुए जबरदस्ती फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी। प्रशासन ने फिल्म फेस्टिवल के बाकी के कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया। जन हस्तक्षेप राजस्थान की भाजपा–आरएसएस सरकार, स्थानीय प्रशासन और गुंडों के इस अलोकतांत्रिक एवं फासिस्ट व्यवहार की कड़ी निंदा करता है। देश में कला, साहित्य, संस्कृति और फिल्मों के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संघ परिवार पहले भी हमलावर रहा है। लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता है, लेकिन जब से आरएसएस–भाजपा केंद्र और राज्यों की सत्ता में आया है तब से नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवाधिकारों पर हमले तेज हो गये हैं। जन हस्तक्षेप ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह सत्ता के फासीवादीकरण का प्रमाण है, जब कबीर जैसे संत के धर्मनिरपेक्ष विचारों के प्रसार पर भी हमले होने लगे हैं।

9वें उदयपुर फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान सहित देश भर से दर्शक, फिल्म निर्देशक, फिल्म कलाकार और टेक्नीशियन शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें प्रशासन और आरएसएस के मिले–जुले आतंक से निराश होना पड़ा। हालांकि फिल्म महोत्सव के बाकी के कार्यक्रम अन्यत्र स्थान पर आयोजित करने की तैयारी आयोजक कर रहे हैं। मीडिया रपटों के अनुसार आरएसएस के लोगों की मुख्य आपत्ति यह थी कि फिल्म महोत्सव डीयू प्रोफेसर और मानवाधिकार कार्यकर्ता स्व. जीएन साई बाबा और फिलिस्तीन में मारे गए हजारों बच्चों की याद को समर्पित था। उदयपुर फिल्म सोसाइटी के प्रतिनिधियों का कहना था कि वह नरसंहार के हरेक कृत्य को अमानवीय त्रासदी मानते हैं और ऐसे कृत्यों के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस की शर्त थी कि फिल्म सोसाइटी को फिलिस्तीनी बच्चों को महोत्सव समर्पित करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कार्यक्रम रोकने के बाद समिति के प्रतिनिधियों और आरएसएस के लोगों के बीच लंबी बैठक की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिल्म सोसाइटी ने बैठक में कहा कि फिलीस्तीन में जारी नरसंहार का विरोध और निंदा करना हर शांति प्रिय इंसान का कर्तव्य है। बैठक में आरएसएस के लोगों ने स्वर्गीय जीएन साई बाबा के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें आतंकवादी कहा। समिति के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल से भी मुलाकात की, लेकिन उन्होंने आरएसएस के दबाव के सामने अपनी विवशता जाहिर की।

उदयपुर फिल्म सोसाइटी लंबे समय से चल रहे प्रतिरोध के सिनेमा आंदोलन का राष्ट्रीय सहयोगी है। जिस समय हंगामा हुआ उस समय शबनम विरमन की फिल्म ''हद अनहद'' का प्रदर्शन हो रहा था, जो संत कबीर के दोहों को लेकर सिनेमा में वृतचित्र के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देती है। जन हस्तक्षेप ने इस तरह के हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि दुनिया भर के संवेदनशील नागरिक और मानवाधिकार वादी फिलिस्तीन में इजरायल द्वारा किए जा रहे नरसंहार की खिलाफत कर रहे हैं, उस समय आरएसएस इसराइल के अमानुषिक कृत्यों की निंदा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि फिलिस्तीन के समर्थन में और इजरायल के विरोध में आरएसएस– बीजेपी की सरकारें कोई कार्यक्रम नहीं होने दे रही हैं। जन हस्तक्षेप नागरिक समाज से अपील करता है कि वह संघ के इस हमले का मुखर विरोध करें।

(जन हस्तक्षेप के संयोजक डॉ विकास बाजपेई, जेएनयू तथा सहसंयोजक अनिल दुबे वरिष्ठ पत्रकार द्वारा 18 नवम्बर को जारी)

ट्रम्प की जीत ....

(पृष्ठ 3 से आगे)

रूस–चीन गठबंधन बहुत मजबूत है और ट्रम्प की इनकी एकजुटता 'बिखेरने' की योजना हवाई पुल बनाने जैसा है। ट्रम्प की युद्ध–विरोधी बयानबाजी का परीक्षण मध्य पूर्व में होगा।

सत्तारूढ़ आरएसएस–भाजपा सरकार श्वेत वर्चस्ववाद और हिंदुत्व के बीच अपनी वैचारिक समानता के लिए ट्रम्प का समर्थन करती रही है। आरएसएस से जुड़े भारतीय अमेरिकियों के समूह ट्रम्प के लिए प्रचार करते रहे हैं, हालांकि अधिकांश भारतीय अमेरिकी ट्रम्प के नेतृत्व वाले 'एक बार फिर अमेरिका को महान बनाओ' आंदोलन के नस्लवादी स्वरों के विरोध में हैं। भारत सरकार और ट्रम्प प्रशासन के बीच संबंध विभिन्न कारकों द्वारा तय किये जाएंगे। जहां सैन्य क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ता रहेगा, क्योंकि ट्रम्प के चीन के साथ तनाव बढ़ाने की आशंका है, वहीं व्यापार संबंधों में ट्रम्प प्रशासन भारतीय बाजारों तक अधिक पहुंच की मांग करेगा और इसे हासिल करने के लिए भारतीय वस्तुओं पर कर बढ़ाने में संकोच नहीं करेगा। ट्रंप भारत से प्राथमिक उपज और अर्ध–तैयार उत्पादों के बदले उच्च मूल्य वाले अमेरिकी सामान खरीदने की मांग करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय लोगों के लिए ट्रम्प प्रशासन सकारात्मक नहीं होगा।

ट्रंप की जीत अमेरिका के लिए अहम है और दुनिया भर पर इसका असर होगा। हालाँकि, उनके द्वारा लागू की जाने वाली नीतियां अमेरिका और पश्चिमी देशों में मजदूर वर्ग आंदोलन की तीव्रता और वृद्धि और दुनिया के विभिन्न देशों में जन आंदोलनों की वृद्धि की स्थितियां पैदा करेंगी।

(न्यू डेमोक्रेसी दिसंबर 2024 से)

संभल शाही जामा मस्जिद के अस्तित्व पर फासीवादी हिन्दुत्वपंथियों का हमला

(पृष्ठ 2 का शेष)

में भी वही परिणाम सामने आया।

इस बीच महापंचायत के पोस्टरों में कहा गया कि मस्जिद गैरकानूनी है और मांग उठाई गयी कि मस्जिद में चल रही सारी गतिविधियों को रोक दिया जाए। साथ में प्रचार किया कि इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों, जो मजदूरों व छोटे दुकानदारों के रूप में बाहर से आए हैं, की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ गयी हैं। जब अल्पसंख्यक सेवा समिति ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उससे आग्रह किया कि वह राज्य सरकार को महापंचायत न होने देने का निर्देश दे, तब सुनवाई में 27 नवम्बर को राज्य सरकार ने आश्वस्त किया कि उसने अनुमति नहीं दी है। हाईकोर्ट ने महापंचायत पर रोक नहीं लगाई क्योंकि वह जवाब से संतुष्ट थी। पर 1 दिसम्बर को महापंचायत हुई जिसमें 500 लोगों ने भाग लिया।

प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 (पूजा स्थल कानून 1991)

चर्चित अयोध्या जजमेंट में 5 जजों की बेंच ने जब निर्णय दिया तो उसे बाबरी मस्जिद जिस जमीन पर स्थित थी उसके मालिकाना अधिकार को तय करना था। उसने ऐसा न करके 2.77 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास को मंदिर निर्माण के लिए दे दी। इसके अलावा उसने कुछ अन्य जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को और कुछ निर्मोही अखाड़ा को दी। ऐसा करते समय उसने टिप्पणी की कि पूजा स्थल कानून 1991 हमारे इतिहास और देश के भविष्य के लिए यह महत्व रखता है कि वह "सार्वजनिक पूजा स्थलों के चरित्र को सुरक्षित रखेगा"। यह कहा कि "संसद ने बिना अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किये यह निर्देश दिया है कि इतिहास और इसमें गुजरे तमाम अन्याय का इस्तेमाल वर्तमान और भविष्य में उत्पीड़न के यंत्र नहीं बनेंगे।

इसके बावजूद राजस्थान के कोर्ट में अजमेर शरीफ के विवाद में नोटिस दिया हुआ है; संभल में एक पक्षीय आदेश पारित किया है; अगस्त 2023 में ज्ञानवापी मस्जिद की 'वैज्ञानिक जांच' को सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही नहीं रोका और मथुरा शाही ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि होने के दावे के दायरे में वाद न्यायालय में जिन्दा है; आदि। इन सबको समूचे मुस्लिम समुदाय के धर्मस्थलों पर एक–एक करके हमला करने, उनके मालिकाना से एक–एक फांक अलग करने की 'सलामी टैक्टिक्स' वर्णित किया गया है।

पूजा स्थल कानून 1991 के उल्लंघन की यह छूट खुद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ में यह कहकर दे दी थी कि उक्त कानून धर्मस्थल के चरित्र की जांच करने से नहीं रोकता। एक बहस में जब उनसे कहा गया कि निचली अदालत में चलाये जा रहे ये सारे वाद तुच्छ हैं तो उन्होंने प्रतिक्रिया में कहा "आपके लिए तुच्छ होंगे, पर दूसरों के लिए आस्था का सवाल हो सकते हैं"।

राजनीति प्रतिक्रियाएं

इन घटनाओं के विश्लेषण में यह सटीक बात टिप्पणी की गयी है कि आज संघ शासन के संचालन में केवल राजनैतिक दल और प्रशासन ही उनके हथियार नहीं हैं, बल्कि न्यायपालिका भी एक आरएसएस का तीसरा स्तम्भ बनती जा रही है। न्यायपालिका द्वारा संघ के विभाजनकारी विचारों को सुरक्षा देने का परिणाम है कि भाजपा के नेता खुलेआम अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अश्लील भाषा का इस्तेमाल करके नफरती टिप्पणी करते हैं। आज उच्च न्यायालय व निचली अदालतों में भी जजों द्वारा अल्पसंख्यकों के विरुद्ध टिप्पणी करने की होड़ सी लगी हुई है। कोई गाय के गुण गिनाता है, कोई गोबर में पौष्टिक तत्व की बात करता है, कोई पीपल से आक्सीजन का महत्व को दर्शाता है तो कोई धर्म परिवर्तन को न सहने की टिप्पणी करता है। राजसत्ता के सभी अंगों पर आरएसएस की ऐसी मजबूत पकड़ बनती जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार व राजनीतिक दल

इस कुल स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार ने बयानबाजी के अलावा 12 एफआईआर दर्ज कीं जिसमें स्थानीय सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र को उकसाने का आरोपी बताया; 29 लोगों को गिरफ्तार कर 250 अन्य को संदेह के दायरे में रखा; तीन सदस्यीय न्यायिक जांचदल की घोषणा की; उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व निजी सम्पत्ति क्षति की वसूली कानून के तहत आरोपियों से वसूली के आदेश दिये; फ्लैग मार्च आयोजित किया; आरोपियों के फोटो व नाम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की घोषणा की; इलाके में विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया और यह प्रचार शुरु कर दिया कि इस घटना के लिए मुस्लिम नेताओं के बीच गहरा आपसी तनाव जिम्मेदार है।

निष्कर्ष

इन सभी घटनाओं से स्पष्ट है कि आरएसएस–भाजपा बहुत तेज गति से समाज में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करने की ओर आगे बढ़ रही है। मुसलमानों के धर्मस्थल व सम्पत्तियां उसके विशेष निशाने पर हैं। विपक्षी दल भी औपचारिक टिप्पणी के अलावा धर्म निरपेक्ष सौहार्द विकसित करने के पक्ष में कोई एकताबद्ध व ठोस आन्दोलन बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। ना ही उनकी ऐसी कोई मांग है जो साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जनता की एकता को मजबूत करे। वे केवल संवैधानिक धर्म निरपेक्ष मूल्यों की बात करते हैं, पर शासक वर्गों, विशेषकर कारपोरेट मुनाफे को बढ़ाने के लिए शासक वर्गों की साम्प्रदायिक विभाजन के हथियार के इस्तेमाल की बढ़ रही जरूरत के खिलाफ नहीं दिखाई देते।

क्रांतिकारी व जनवादी ताकतों के लिए आज और ज्यादा जरूरी हो गया है कि एक ओर वे जनता की मौलिक मांगों पर व्यापक जनभागीदारी के साथ संघर्ष विकसित करें। दूसरी ओर यह जरूरी है कि जनवादी ताकतों को एकताबद्ध करके समाज में धर्मनिरपेक्षता पर हमले के विरुद्ध सरकार की गतिविधियों का विरोध विकसित करें और लोकतांत्रिक संवैधानिक सुरक्षाओं के पक्ष में जनता की व्यापक गोलबंदी करें।

आल इंडिया ट्राइबल फोरम के आवाह्न पर शहीद बिरसा मुंडा जयंती पर कार्यक्रम

15 नवंबर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महाननायक और झारखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक आदिवासी विद्रोह 'उलगुलान' के नेता शहीद बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। इस अवसर पर आल इंडिया ट्राइबल फोरम ने कारेपोरेट तथा सरकार द्वारा आदिवासियों पर हमलों के खिलाफ संघर्ष तेज करने के लिए सभाएं तथा प्रदर्शन करने का आवाह्न किया।

इस आवाह्न के अनुसार "बिरसा मुंडा का ऐतिहासिक विद्रोह मूलतः औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लोगों, विशेषकर आदिवासियों के भूमि, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों को बनाए रखने के लिए था। आदिवासियों ने अपनी भूमि और जंगलों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन बिरसा मुंडा के आंदोलन के इतने दशकों के बाद भी आदिवासियों की भूमि, जंगल और जीवन शैली पर हमले जारी हैं। विकास और खनन के नाम पर, सरकार के सक्रिय समर्थन से बड़े कॉरपोरेट देश भर में आदिवासियों और अन्य परंपरागत वनवासियों की भूमि और जंगल हड़प रहे हैं। उनकी आजीविका, सामुदायिक जीवन और स्वच्छ पर्यावरण सरकार और कंपनियों द्वारा छीना जा रहा है। आज की सरकारें हमारे संसाधनों को लूटने के लिए कॉरपोरेट समर्थक नीतियों को अपना रही हैं। वे सशस्त्र पुलिस तैनात करके आदिवासियों पर दमन और उत्पीड़न कर रहे हैं और बलपूर्वक उनकी भूमि और जंगल छीन रहे हैं। फासीवादी आरएसएस– भाजपा और केंद्र और राज्यों की सरकारें इन बड़े कॉरपोरेट के दलाल के रूप मे काम कर रही हैं और धर्म के नाम पर आदिवासियों को बांटने की कोशिश कर रही हैं। पिछले 10 वर्षों के अपने शासन के दौरान, केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली आरएसएस–भाजपा सरकार ने वन और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न कानूनों और नियमों में संशोधन करके और उन्हें कमजोर करके कॉरपोरेट द्वारा इस लूट को सुविधाजनक बनाया है। अब बिरसा मुंडा के नाम पर यह आदिवासी–विरोधी सरकार एक बार फिर देश के आदिवासियों को धोखा दे रही है। इतने वर्षों के शासन के बाद हाल ही में उन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया ताकि वे अपनी आदिवासी–विरोधी साजिशों को छिपा सकें। आदिवासियों के हितों से इसका कोई लेना–देना नहीं है।

भूमि, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासियों के अविभाज्य अधिकारों की रक्षा और आदिवासियों के पारंपरिक रीति–रिवाजों और संस्कृति की रक्षा के लिए उनके नेतृत्व में हुआ उलगुलान आज भी हमारे देश के आदिवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सरकार और कॉरपोरेट से अपनी भूमि, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के संघर्ष को और मजबूत करें।

15 नवंबर 2024 को बिरसामुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर हमें 'भूमि, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार के लिए संघर्ष को तेज करने का संकल्प लेना चाहिए।"

इस अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम लिये गये। ओडिशा, बिहार में कैमूर, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बिरसा मुंडा जयंती पर कार्यक्रम लिये गये।

गुनपुर (रायगड्डा, ओडिशा) में सभा

कैमूर (बिहार) में बिरसा मुंडा स्मृति सभा

बांग्लादेश

अल्पसंख्यकों, उनके घरों और पूजा स्थलों पर हमले रोके जाएं

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी शेख हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय की सांप्रदायिक ताकतें अल्पसंख्यकों के घरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शुरू में इन हमलों को सांप्रदायिक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रकृति का बताया था जो शेख हसीना की अवामी लीग के समर्थकों के खिलाफ लक्षित थे और कहा था कि उनका प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि ऐसे हमले न हों। फिर भी बांग्लादेश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हमलों का जारी रहना मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले प्रशासन की ऐसे हमलों और इनके लिए दोषी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने में विफलता या अनिच्छा को दर्शाता है।

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी बांग्लादेश की सभी जनवादी, प्रगतिशील और जन पक्षीय ताकतों से ऐसे हमलों के खिलाफ आगे आने का आह्वान करती है। सांप्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लोगों की एकता सांप्रदायिक शांति और सद्भाव की सबसे अच्छी गारंटी है।

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी इन हमलों के खिलाफ बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों को सकारात्मक रूप से देखती है। इन विरोध प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। हमें उम्मीद है कि सभी सांप्रदायिकता विरोधी ताकतें ऐसे विरोध प्रदर्शनों में शामिल होंगी और हमले की दोषी साम्प्रदायिक ताकतों को अलग–थलग करेंगी।

शेख हसीना के तानाशाही शासन के खिलाफ बांग्लादेश के छात्र उठ खड़े हुए थे। उस उभार में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के छात्रों ने भाग लिया था। छात्रों के इस उभार को बांग्लादेश में व्यापक जनता का समर्थन प्राप्त था। बांग्लादेश की सेना के रवैये के कारण शेख हसीना को 5 अगस्त, 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। उस उथल पुथल के दौरान सांप्रदायिक ताकतों ने अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों पर हमले किये।

अल्पसंख्यकों के जीवन, संपत्ति और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना अंतरिम सरकार और सुरक्षा बलों का कर्तव्य है।

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी भारत में सत्तारूढ़ आरएसएस–भाजपा द्वारा इन हमलों की रिपोर्टों का उपयोग अपने मुस्लिम विरोधी प्रचार के लिए करने के प्रयासों की निंदा करती है। आरएसएस–भाजपा खुले तौर पर अल्पसंख्यक विरोधी रुख अपनाती है और केंद्र और राज्यों में उनके नेतृत्व वाली सरकारें अल्पसंख्यकों, उनकी संपत्तियों और उनके पूजा स्थलों पर हमले करती हैं। वे बांग्लादेश में इन अस्वीकार्य घटनाओं का अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की निंदनीय कोशिश कर रहे हैं। उनके बयान बेमानी हैं क्योंकि वे भारत में अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने का उनका दावा भारत में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों पर उनके हमलों को देखते हुए पाखंडपूर्ण है। जाहिर है वे इन हमलों को अल्पसंख्यकों पर हमलों के रुप में नहीं बल्कि हिंदुओं पर हमलों के रुप में चित्रित करते हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अपने 'बड़े भाई' जैसे रवैये की छवि के कारण भारत सरकार को इस मामले में संयम से बयान देने चाहिएं।

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी भारत और बांग्लादेश के प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों की निंदा करती है जो लोगों को धार्मिक आधार पर विभाजित करके और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर अपने जन विरोधी शासन को बनाए रखना चाहते हैं। वास्तव में उनके ऐसे कृत्य भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में सांप्रदायिक ताकतों की मदद करते हैं। यह इन देशों में शासक वर्गों द्वारा जनता के आक्रोश को दिग्भ्रमित करने की साजिशों का हिस्सा हैं ताकि जनता उनके जन–विरोधी शासन के खिलाफ न उठ खड़ी हो। लोगों को इनकी साजिशों को पहचानकर इनके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, अपनी एकता को मजबूत करना चाहिए और एकजुट होकर जन विरोधी शासन और नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए।

(सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी द्वारा 29 नवंबर, 2024 को जारी)

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से मुद्रित तथा प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार